



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1940 (श०)

(सं० पटना 561) पटना, बुधवार, 13 जून 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 जून 2018

एस० ओ० 185 दिनांक 13 जून 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, नीचे की सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करते हैं, उचित अधिकारी द्वारा, जिसका व्ययन, उक्त माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अंतराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियंत्रित भंडारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन उसके अधिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा।

अनुसूची

(1)	लवण और आर्द्रताग्राही पदार्थ
(2)	कच्चे (आर्द्र और लवणीय) खाल और चर्म
(3)	समाचार पत्र और पत्रिकाएँ
(4)	मेंथॉल, कपूर, केसर
(5)	बाल पॉइंट पेन के लिए रिफिल
(6)	लाइटर, ईंधन जिसके अंतर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं
(7)	सैल, बैटरी और रीचार्जबल बैटरी
(8)	पेट्रोलियम उत्पाद
(9)	खतरनाक औषधियाँ और मनःप्रभावी पदार्थ
(10)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खंड-4 के अधीन आने वाली थोक औषधियाँ और रसायन
(11)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधीय उत्पाद;
(12)	आतिशबाजी
(13)	लाल चंदन

(14)	चंदन की लकड़ी
(15)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल;
(16)	ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल, जो प्रौद्योगिकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है।
(17)	उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन अन्तिम रूप से निर्माचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अन्तिम रूप से, निर्माण के लिए बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्माण नहीं लिया गया था।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-1724)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

13 जून 2018

एस०ओ० 185, दिनांक 13 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)-1724)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

The 13th June 2018

S.O. 185 Dated 13th June—2018 In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 67 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, hereby notifies the goods or the class of goods (hereinafter referred to as the said goods) mentioned in the Schedule below, which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2) of section 67 of the said Act, be disposed of by the proper officer, having regard to the perishable or hazardous nature, depreciation in value with the passage of time, constraints of storage space or any other relevant considerations of the said goods.

Schedule

(1)	Salt and hygroscopic substances
(2)	Raw (wet and salted) hides and skins
(3)	Newspapers and periodicals
(4)	Menthol, Camphor, Saffron
(5)	Re-fills for ball-point pens
(6)	Lighter fuel, including lighters with gas, not having arrangement for refilling
(7)	Cells, batteries and rechargeable batteries
(8)	Petroleum Products
(9)	Dangerous drugs and psychotropic substances
(10)	Bulk drugs and chemicals falling under Section VI of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(11)	Pharmaceutical products falling within Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(12)	Fireworks
(13)	Red Sander
(14)	Sandal wood

(15)	All taxable goods falling within Chapters 1 to 24 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(16)	All unclaimed/abandoned goods which are liable to rapid depreciation in value on account of fast change in technology or new models etc.
(17)	Any goods seized by the proper officer under section 67 of the said Act, which are to be provisionally released under sub-section (6) of section 67 of the said Act, but provisional release has not been taken by the concerned person within a period of one month from the date of execution of the bond for provisional release.

2. This notification Shall come into force with effect from 13th June, 2018

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)1724)]

By the order of Governor of Bihar,

S. SIDDHARTH,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 561-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>